न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी—पवन कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्या:—05 / 2017

द्रोपतीदेवी बेवा प्रकाश पुत्री बीरबलराम जाति अचार्य उम्र 55 वर्ष निवासी 12 एनडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

———————**प्रार्थी**

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

——————**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 एल.आर.एक्ट

::निर्णय:: **दिनांक—31 / 03 / 2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चक 12 एनडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—40 पत्थर सं.—42 / 23 के किला नम्बर 1ता8 की कुल1.973 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदारी दर्ज है जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त भूमि मुरब्बा नं.—40 पत्थर सं.—42 / 23 के कुल 25 बीघा भूमि प्रार्थीया के पिता बीरबलराम पुत्र परमाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। प्रार्थीया को किला नं.—1ता8 की कुल 1.973 हैक्टर भूमि जरिये बैयनामा एवं वसीयत प्राप्त होकर प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो चुकी है इस मुरब्बा की शेष भूमि किला नम्बर 9ता25 की कुल 4.099 हैक्टर वर्तमान में प्रार्थीया के पिता बीरबलराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है प्रार्थीया के पिता का देहान्त हो चुका है शेष भूमि उसके वारिसान के अधिकार व अधिपत्य में है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि की सिंचाई सुविधा के लिए पक्का खाला इ.गा.न.परि. के अन्तर्गत किला नम्बर 1ता5(पूर्व से पश्चिम में स्वीकृतशुदा है जो पक्का खाला वर्तमान मे भी किला नम्बर 1ता5 मे बना हुआ है तथा उसी अनुरूप मौका पर चल रहा है जिस खाता से ही प्रार्थीया अपनी उक्त भूमि को सिचिंत करती आ रही है मौका नक्शा मे भी उक्त खाला दर्शाया हुआ है। तत्पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो राजस्व रिकार्ड तैयार किया गया उसमें सहबन से मुरब्बा नं.—40 पत्थर सं. —42 / 23 के किला नम्बर 1ता5 में जो खाला का इन्द्राज किया हुआ था को राजस्व रिकार्ड से हटाकर किला नं.—5,6,15,16 व 25 में (उतर से दक्षिण) इन्द्राज कर दिया गया। जबकि किला नम्बर 5,6,15,16 व25 में (उतर से दक्षिण) में कोई खाला स्वीकृतशुदा नही है और ना ही किला नं.—5,6,15,16 व 25 में (उतर से दक्षिण) में मौका पर कोई खाला बना हुआ है और ना ही वर्तमान में ऐसा कोई खाला चालू है बल्कि खाला पूर्व से ही पुराना किला नम्बर 1ता5(पूर्व से पश्चिम) में स्वीकृतशुदा है जो खाला मौका पर उसी अनुरूप बना हुआ है और वर्तमान में भी उसी अनुरूप चालू है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की सदभाविक भूल से बंदोबस्त के बाद में राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय राजस्व रिकार्ड की प्रविष्ठ में प्रार्थीगण के किला नम्बर 1 से 5(पूर्व से पश्चिम) के स्थान पर किला नम्बर 5,6,15,16 व25 में (उतर से दक्षिण) में खाला का इन्द्राज सहबन से दर्ज कर दिया गया है जो कि [illegible] सदभाविक एवं लिपिकीय त्रुटि है ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड में हुई खाला की [illegible] किया जाकर किला नं. —5,6,15,16 व 25 में खाला की गलत प्रविष्ठि को सही किया [illegible] किला नं.—1ता5(पूर्व से पश्चिम) दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.22 15:03:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को उक्त राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि के बारे में पूर्व में कतई इल्म नहीं था जिसका सर्वप्रथम इल्म उस समय हुआ जब अरसा एक माह पूर्व अन्य काश्तकारा द्वारा खाला को लेकर विवाद किया गया जिस पर प्रार्थीया हल्का पटवारी से मिली तो उन्होंने रिकॉर्ड देखकर कहा कि पूर्व के रिकार्ड में उक्त खाला मुरब्बा नं.—40 के किला नं.—1से5 (पूर्व से पश्चिम) में दर्ज था लेकिन बाद का जो रिकार्ड देखकर कहा कि पूर्व के रिकार्ड में उक्त खाला मुरब्बा नं.—40 के किला नं.—5,6,15,16 व25 में यह खाला दर्ज हो गया है इसलिए आप राजस्व रिकार्ड में अब

दुरूस्ती करवा सकते है जिस पर प्रार्थीगण तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष राजस्व अभिलेख में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने के संबंध में मिले तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय से दुरूस्ती बाबत् आदेश लेकर आओ। इसलिए प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार चक 12 एन डी का मु.नं. 40 प. न. 42/23 का किला नं. 1 ता 8 कुल 1.973 है. कमाण्ड मय खाला रकबा द्रोपती देवी पत्नि स्व. प्रकाश पुत्री बीरबल राम कौम आचार्य (तारंग) सा. देह खातेदार दर्ज है किला नं. 5 व 6 में क्रमशः 0.026, 0.025 हैक्टर में खाला है। किला नं. 9 ता 25 की कुल 4.099 हैक्टर कमाण्ड मय खाला रकबा बीरबल वल्द परमाराम कौम तारंग सा. रायसिंहनगर खातेदार दर्ज है। किला नं. 15, 16 व 25 में प्रत्येक में 0.025 हैक्टर खाला दर्ज है। मौका पर यह खाला किला नं. 1 ता 5 में बना हुआ है तथा चालू है। चूंकि रिकॉर्ड में दर्ज खाला किला नं. 5, 6, 15, 16, व 25 से हटाकर मौका अनुसार किला नं. 1 ता 5 में जरिए दुरूस्ती कर किया जाना है इसलिए सिंचाई विभाग से रिपोर्ट ली जानी आवश्यक है। किला नं. 9 ता 25 के खातेदार बीरबलराम की मृत्यु होना वाद पत्र के बिन्दु सं. 2 में अंकित किया है अतः रिकॉर्ड पर वारिसों का अंकन पश्चात् आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अधिशाषी अभियंता अनूपगढ़ शाखा जल संसाधन खण्ड प्रथम श्री विजयनगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 12 एनडी बी का पत्थर नं.–42/23 के किला नं.–1,2,3,4,5 में सीएडी स्कीम के चक प्लॉन अनुसार जलमार्ग आता है।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार, अधिशाषी अभियंता अनूपगढ़ शाखा जल संसाधन खण्ड प्रथम श्री विजयनगर की रिपोर्ट, तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थी के द्वारा चाही गई दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वाके चक–12 एनडी (बी) तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–40 पत्थर सं. –42/23 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 के संबंध में राजस्व अभिलेख मे दर्ज खाला की प्रविष्ठि को हटाया जाकर किला नम्बर 1ता5 (पूर्व से पश्चिम) में खाले का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ [illegible] उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.22 15:03:21 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़